

40/2021

कालूराम vs उषा

12/7/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

आदेश से पीछर

27/9/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 4/10/24 को पेश हो।

आदेश से पीछर

04-10-24

~~पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष~~

~~उपरोक्त पत्रावली में मूल पत्रावली के साथ~~

~~दिनांक 19-11-24 से पेश हो।~~

~~आदेश से पीछर~~

19-11-24

पत्रावली पेश हुई। जर्नी एवं जर्नी आधीकृत अनुपादित। जर्नी एवं जर्नी आधीकृत को नियमानुसार तीन बार आवाजे लगवाने के बावजूद कोई उपाय नहीं आया। जर्नी एवं जर्नी आधीकृत के उपाय नहीं आने से जर्नी द्वारा उच्चतम मूल वाद-अदम हाजरी। अदम पैवरी में खरिज किया जा चुका है। जर्नी के न्यायालय में इंगित नहीं आने से जर्नी पत्र अन्तर्गत धारा 218 राजस्थान कायदाकारी आधीनियम 1955 को अदम हाजरी। अदम पैवरी में खरिज किया जाता है। निम्न सरंखलात पुनराज गजा।

पत्रावली जॉसल शुमार लेकर

दार्जिल रफ्तार ले तथा नम्बर से कम ले।

आदेश से पीछर

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा